



208

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्रC

निग 32.30 I 16

- R-
- 21-9-16
1. किशन तनय जालम आदिवासी
निवासी ग्राम पंधौ तह. बीना जिला सागर
 2. जगतसिंह यादव तनय नत्थूसिंह यादव
निवासी ग्राम पंधौ तह. बीना जिला सागर

.....निगरानीकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एवं धारा 165 म.प्र.भू
राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर एवं अपर तहसीलदार बीना द्वारा प्रकरण क्र 358/बी-121/15-16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मुडिया देहरा स्थित भूमि खसरा क्र 396/1 एवं 396/2 रकवा क्रमशः 0.25 एवं 0.25 कुल 0.50 है. आवेदक क्र 1 की स्वअर्जित भूमि है जिसको आवेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु आवेदक क्र 1 द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

- L. Jain
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता

क्र 1 जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है

(निवेदन क्र 94251-4/223)

R. Jain

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1151/3230/16 जिला सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.9.16	<p>1- आवेदकगण के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्र.क्र.358/बी-121/वर्ष 15-16 में के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2- आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक क्र 1 की भूमि ग्राम मौजा मुडिया देहरा स्थित खसरा क्र 396/1, 396/2 रकवा क्रमशः 0.25, 0.25 कुल रकवा 0.50 हे भूमि स्वअर्जित भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक क्र 1 के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको आवेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक क्र 1 द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।</p> <p>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक क्र 1 द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक क्र 1 बीमार चल रही है जिस कारण उसको अपने इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। आवेदक क्र 1 का यह भी तर्क है कि उसके पास अन्य भूमि ग्राम पंधौ खसरा क्र 276/1, 495 कुल रकवा 1.00 हे एवं ग्राम बम्हौरी दुर्जन खसरा क्र 4/4 रकवा 0.80 में</p>	